

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला

राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती विन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 115/2025

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 18.07.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

--:अनवान:-

1. केसर देवी पत्नी श्याम सुन्दर जी जाति कुमावत आयु 48 वर्ष निवासी हस्तीनापुर कांकरोली
2. राधा देवी पत्नी कुंजबिहारी जी जाति कुमावत आयु 36 वर्ष निवासी हस्तीनापुर कांकरोली तहसील एवं जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पिता पीथा जी जाति भील आयु 50 वर्ष निवासी ओडा बस स्टेण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. किशन पिता मोहन जी जाति भील आयु 60 वर्ष निवासी खाखर माला भाणा रोड तहसील एवं जिला राजसमन्द
3. धनकी पत्नी मोहन जी जाति भील आयु 65 वर्ष निवासी खाखर माला भाणा रोड तहसील एवं जिला राजसमन्द
4. रोशन पिता मोहन जी जाति भील आयु 30 वर्ष निवासी खाखर माला भाणा रोड तहसील एवं जिला राजसमन्द
5. दल्ला पिता पीथा जी जाति भील आयु 65 वर्ष निवासी निवासी ओडा बस स्टेण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. काली बाई पत्नी हरिराम जी जाति गाडरी आयु 70 वर्ष निवासी वेयर हाउस बस स्टेंड नारायण गंज ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. भूपेन्द्र सिंह पिता जोधसिंह जी जाति राव आयु 40 वर्ष निवासी सेवाली राजनगर तहसील एवं जिला राजसमन्द
8. मोहन पिता हरिराम जी जाति गाडरी आयु 50 वर्ष निवासी वेयर हाउस बस स्टेंड नारायण गंज ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. खेरून निशा पत्नी आविद अली जी जाति सैय्यद मुसलमान आयु 50 वर्ष निवासी पठान वाडी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
10. तोसिफ अली पिता आविद अली जी जाति सैय्यद मुसलमान आयु 29 वर्ष निवासी पठान वाडी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
11. शामिन अली पिता आविद अली जी जाति सैय्यद मुसलमान आयु 27 वर्ष निवासी पठान वाडी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 2002/530 रकबा 0.8094 है.भूमि ग्राम नारायणगंज पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा संपुर्द नहीं किया जावे । फिस पत्थरगढी 1000/- रूपये अक्षरे. एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(विन्दू बाला राजावत RAS)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद